न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/12/2020 दायर दिनांक 16.12.2020

उनवान

1. जमरी बाई पत्नि नाथु जाट निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन।

प्रार्थी।

बनाम

1. सरकार।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 16.12.2020

—: निर्णयः—

वाद पत्र/प्रार्थना पत्र तहसीलदार कपासन से प्राप्त दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया जमरी बाई ने वाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दांता की जमाबन्दी संवत 2074—77 खाता संख्या 41 में जमकु पत्नि नाथु हिस्सा 1/5 जाट सा. गुमानपुरा दर्ज रिकार्ड है तथा वादीया के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य समस्त दस्तावेजों में जमरी बाई ही दर्ज है।

प्रार्थीया के अनुसार जमरी बाई के बजाय जमकु गलत दर्ज आ रहा है। अतः निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में जमकु के बजाय जमरी बाई दर्ज करना फरमावें। हमने प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार कपासन से प्राप्त अनुसार का अवलोकन किया रिपोर्ट अनुसार ग्राम दांता के खाता संख्या 41 में खातेदारी जमकु पत्नि नाथू के बजाय जमरी बाई पत्नि नाथू दर्ज किया जाना उचित है कि रिपोर्ट करी। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीया के खाता संख्या 04 मौजा गुमानपुरा के राजस्व रेकार्ड में जमरी बाई दर्ज रेकार्ड है। ग्राम [illegible] में ही अन्य खाता संख्या 21 में भी जमरी बाई दर्ज रेकार्ड है। आधार कार्ड में भी प्रार्थीया का नाम जमरी बाई दर्ज रेकार्ड है। वोटर कार्ड आईडी. में भी जमरी बाई दर्ज रेकार्ड है। सहखातेदारी श्यामु बाई. भैरूलाल, सुखी बाई द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी नाम परिवर्तन कर जमरी बाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.12 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने की सहमति प्रकट की है। सरपंच ग्राम पंचायत करूँकडा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में जमरी बाई व जमकु बाई एक ही होना दर्शाया है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा दांता पटवार हल्का कंरूकडा तहसील कपासन की आ0 सं0 1365, 1366, 1367, 1370, 1371, 1378 कुल किता 06 कुल रकबा 3.52 में दर्ज जमकु पत्नि नाथू हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. गुमानपुरा खातेदार के बजाय जमरी बाई पत्नी नाथू हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. गुमानपुरा खातेदार दर्ज किया जावे शेष बदस्तुर रहें। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.12 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested